## GOVERNMENT CHANDULAL CHANDRAKAR ARTS AND SCIENCE COLLEGE PATAN, DIST.-DURG (C.G.)

## Women Cell Report 2022-23

## **Steps and Preventive Measures taken by Committee**

- 1. Women Cell has been formed to ensure the prevention for sexual harassment of women.
- 2. This committee is working consisting the following members:

Smt. Rukhmani Sahu (Convenor)

Dr. Pushpa Minj (Member)

Dr. Sadhna Rahatgaonkar (Member)

- 3. Rules and Regulations has been displayed and circulated in Notice Board.
- 4. The guidelines against sexual harassment in the workplace have been displayed to become aware of the rules.
- 5. The college atmosphere is made very healthy educating the students in their regards.
- 6. The students are made free to share their problems to their professors.
- 7. The students are made confident that they will support by their teachers and committee members at the time of need.

**Principal** 

## महिला उत्पीड़न तथा यौन शोषण संबंधी कानून

- ऐसे सभी व्यवहार जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो, जो अरूचि कर यौन भावना से प्रेरित हो ।
- 2. शारीरिक संपर्क एवं निकट आने का प्रयत्न ।
- यौन अनुग्रह की माँग ।
- 4. यौन अर्थ से रंजित फब्तियाँ ।
- अश्लील चित्र दिखाना ।
- कोई अन्य अरूचिकर यौन भाव वाला शारीरिक, मौखिक अथवा गैर मौखिक संपर्क ।
- ऐसा यौन उत्पीड़न जो अपमान, स्वास्थ्य या सुरक्षा का भय दिखाकर किया जाये ।
- ऐसा यौन उत्पीड़न जो हानिकारक परिणामों की चेतावनी, धमकी देकर किया जाये ।
- 9. ऐसा यौन उत्पीड़न जो देश या माहौल दूषित होने की संभावना दिखाकर किया जाये।
- 10. छेड़खानी करना ।
- 11. किसी स्त्री की स्वतंत्रता को भंग करने का प्रयत्न करना ।
- 12. भद्दा मजाक करना ।
- 13. फोन पर अश्लील बातचीत करना ।
- 14. इच्छा के विरूद्ध करना, उसकी निजता का उल्लंघन करना ।
- 15. किसी भी प्रकार की ज्यादती करना ।

आदि संबंधी अपराध होने पर विभाग प्रमुख, निकटस्थ <mark>पुलिस थाना, महिला थाना तथा राज्य महिला</mark> आयोग को सूचित करें ।

> राज्य महिला आयोग, रायपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा महिलाओं के हित में प्रसारित ।